तारीख हुक्म	हुक्म
20/7/20	[illegible] प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र वापस करने निवेदन किया है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र वापस लिया जाता है। प्रतिपक्षीगण ने विरुद्ध प्रार्थी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी को वापस किया जाता है। निवेदनकर्ता प्रार्थी द्वारा निरस्त करने के कारण खारिज किया जाता है। [illegible] खारिज किया जाता है। [illegible]

20-7-2020